पदमराज शर्मा व अन्य **बनाम** नरेश शर्मा व अन्य

संख्या/वर्ष परिवाद 22/2019 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
11-10-19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण उपस्थित प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थीगण ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं सम्पत्ति संरक्षण अधिनियम 2010 में वर्णित तथ्यों को देखते हुए बताया कि अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण का पुत्र एवं अप्रार्थिया संख्या दो प्रार्थीगण की पुत्र वधु है। जिन्होंने अपनी इच्छा से 2011 में प्रेम विवाह किया है। प्रार्थीगण वृद्ध व्यक्ति है तथा कई बिमारियों से ग्रसित है अप्रार्थी संख्या एक सीतापुरा में ज्वेलरी की फैक्ट्री में नौकरी करता है जिसकी आय 30,000/- प्रति माह है तथा अप्रार्थिया संख्या 2 प्राईवेट नौकरी कर 10,000/- प्रतिमाह कमाती है इनके कोई सन्तान नहीं है। प्रार्थीगण की आय का कोई स्रोत नहीं है।	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

पदमराम शर्मा व अन्य बनाम नरेश शर्मा व अन्य

/ 20

ख्या / वर्ष परिवाद 22/2019

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवर
	प्रार्थी रखता एक प्राईवेट नौकरी करता था जिनकी मासिक पेंशन आती है प्रार्थीगण के चार पुत्रियां हैं जिनका विवाह कर दिया है अपने-अपने ससुराल परिवार के साथ रह रही हैं। प्रार्थीगण ने पूरी जिन्दगी मेहनत मजदूरी करके एक फ्लैट नम्बर 707 ए.बी. मानकपुरा [illegible] कालोनी मे खरीदा है उक्त सम्पत्ति को अप्रार्थीगण अपने नाम करवाना चाहते हैं अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ गाली-गलौच, झगड़ा लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं अप्रार्थी रखता शराब पीता है तथा अप्रार्थीया 2 उनका सहयोग करती है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ रात- 4-5 वर्षों से परेशान कर रहे हैं प्रार्थीगण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को फ्लैट से बेघर कर दिया है इस कारण प्रार्थीगण को दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

न्यायालय

पदमराज शर्मा व अन्य **बनाम** महेश शर्मा व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष परिवाद 22/2019 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		वृद्ध प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा मानसिक रूप से टॉर्चर व परेशान करते हैं जिसके कारण प्रार्थीगण का जीवन नरकीय हो रहा है। प्रार्थीगण के स्वामित्व का प्लॉट नं. 707 यू.आई.टी. स्कीम गानकुरा कलां काला तहसील सांगानेर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर उनका कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलाया जावे। एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाया जावे कि प्रार्थीगण के साथ गाली-गलौच व मारपीट नहीं करे तथा भरण-पोषण हेतु 15000/- रुपये अप्रार्थी संख्या 1 से प्रतिमाह को दिलाया जावे। प्रार्थीगण की ओर से प्लॉट के दस्तावेज की छाया प्रतियां पेश की है तथा परिवाद की नकल से प्रार्थीगण की ओर से अलग-अलग शपथ-पत्र पेश किये गये है।	

उप-खण्ड अ...
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned by CamScanner

न्यायालय ____________________

पदमराम शाक्य बनाम नरेश शर्मा व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष प्रकरण 22/2019 /20

क्र0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। इसके बाद प्रार्थीगण पर मनन किया व पत्रावली से संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि प्लॉट न. 707 गुरु वाले गुरुनानकपुरा भीलवा कलां तहसील सांगानेर (जयपुर) जिसका प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा नहीं की जाती है तो अनावेदक को उनकी स्व अर्जित (प्लॉट) में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं समाजिक सरंक्षण अधिनियम 2010 स्वीकार किया जाता है। अनावेदक को प्लॉट नम्बर 707 गुरु वाले गुरुनानकपुरा भीलवा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर से बेदखल किया जाता है। 15 दिवस में प्लॉट खाली कर	

उप-खण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

न्यायालय

पुखराज शर्मा वगैरह बनाम नरेश शर्मा वगैरह

मुकदमा संख्या/वर्ष प्रकीर्ण 22/2019 ____ /20

क०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वाला प्रार्थीगण को सम्मलित जावे कि भरण-पोषण के बतौर 8000/- रुपये प्रतिमाह प्रार्थीयान के बैंक खाते में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा करावें। साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीयान के साथ किसी प्रकार की गाली-गलौच, मारपीट व दुर्व्यवहार नहीं करे। ना ही इनको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करें। पालनार्थ निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना शिवदासपुरा जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 11-10-19 को सरेइजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उप-खण्ड अधिकारी (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2019.11.18 16:58:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: